न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(6)

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3304–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2016 एवं 27–9–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, औबेदुल्लागंज तहसील गौहरगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 17/अ–6/2015–16.

मोहम्मद शामाईल खान
आत्मज मोहम्मद अशफाक खान
कृषक ग्राम ढाबला
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
हाल मुकाम मकान नं. 24,
टोलवाली मस्जिद रोड
बुधवारा, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती विमला देवी मोहानिया
पत्नी हमीर सिंह मोहानिया
निवासी वार्ड नं. 11 अर्जुन नगर औबेदुल्लागंज
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
2– शैतान सिंह पुत्र स्व. छोटेलाल
3– बलवान सिंह पुत्र स्व. छोटेलाल
निवासीगण ग्राम इमलिया गोन्डी
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
4– मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर तहसीलदार
टप्पा औबेदुल्लागंज
त्हसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अरूण दुबे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, औबेदुल्लागंज तहसील गौहरगंज

जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक दिनांक 14–9–2016 एवं 27–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा ग्राम ढाबला स्थित प्रश्नाधीन भूमि वें कमांक 26, 27, 28, 29 एवं 31 रकबा कमशः 0.380, 0.222, 0.170, 0.057 एवं 0.393 कुल रकबा 1.222 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 एवं 3 से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय किया जाकर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, औबेदुल्लागंज जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–6/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 14–9–16 को आदेश पारित कर आवेदक की ओर से कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदक का आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया एवं दिनांक 27–9–16 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इन्हीं दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय को यह जानकारी थी कि प्रश्नाधीन भूमि विवादित है, और भूमि विवादित होने की अवस्था में ही उसका समानान्तर रूप से विकय संव्यवहार हुआ है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14–9–16 को आदेश पारित कर आवेदक का आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 27–9–16 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 से 3 के शपथ पत्रों पर प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति नहीं देते हुए आवेदक का संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत विकय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन का दावा व्यवहार न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र विचाराधीन है, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा अतिशीघ्रता दर्शाते हुए व्यवहार न्यायालय के आदेश का इंतजार किये बिना आदेश आदेश पारित करने में गंभीर अवैधानिकता की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2012 आर.एन. 316 (उच्च न्यायालय) एवं 2003 आर.एन 434 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 165 के अन्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदक के पक्ष में निष्पादित विकय अनुबंध पत्र फर्जी है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 एवं 3 ने अनावेदिका कमांक 1 को अपने आदिवासी समाज के सदस्य को भूमि का विकय किया गया है, जो कि विधिवत कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में कोई स्थगन नहीं होने से उसका आपत्ति का अवसर समाप्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक 3–4 माह से तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में सुनवाई के समय उपस्थित हो रहे हैं, और इतने समय तक उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण क्यों नहीं किया गया । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से कार्यवाही की जा रही है ।

तर्कों के समर्थन में 1977 आर.एन. 366 (हा.को.), 1994 आर.एन. 92 (उच्च न्यायालय) एवे 1997 आर.एन. 272 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में यह निगरानी नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 14–9–2016 एवं 27–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28–9–2016 को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिसकी अपील भी प्रस्तुत की जा चुकी है । अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर